न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 06/2022

श्री बजरंग लाल पुत्र काशीराम उर्फ जगदीश जाट निवासी ग्राम व पोस्ट गोठडा तहसील उनियारा जिला टोंक

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला–टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 6.4.2022

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिमकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला–टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 03–01–2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

1 प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत ढिकोलिया पर प्रार्थना पत्र जावक नं. 23 दिनांक 11.10.2021 के आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि और अब तक की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला–टोंक को पत्र कमांक 355 दिनांक 15–03–2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला–टोंक द्वारा पत्र कमांकः आरटीआई/2022/456 दिनांक 16–03–2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति उनियारा मुख्यालय अलीगढ द्वारा उनके पत्र कमांकः पसउ/स.अधि./2021/98 दिनांक 24–1–2022 जरिये डाक से भिजवायी गई है। जिसकी प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला–टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते